

प्रेस नोट

31.12.2020

जनपद मऊ पुलिस-प्रशासन द्वारा अवैध भू-माफियाओंड्अवैध कब्जाधनिर्माण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में नगर मजिस्ट्रेट जनपद मऊ के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 31.12.2020 को नगर मजिस्ट्रेट/क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत बंधा रोड पर बने अवैध पक्के मकानों/अतिक्रमण (अनुमानित कीमत लगभग 23 लाख 29 हजार) को ध्वस्त कराया गया है।

उल्लेखनीय है कि डा० अब्दुल हई पुत्र स्व० मजीद निवासी मौजा डोमनपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ द्वारा बंधा रोड थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अवैध एक मंजिला इमारत (अनुमानित कीमत 12 लाख) को बनाया गया था, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 06.03.2020 को पारित ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध उक्त के द्वारा कलेक्टरधनियंत्रक प्रधिकारी मऊ न्यायालय में अपील की गयी थी, जिसको कलेक्टरधनियंत्रक प्रधिकारी द्वारा दिनांक 28.12.2020 को अपील निरस्त कर दिया गया तथा दिनांक 31.12.2020 को उक्त के ध्वस्तीकरण हेतु आर०बी०ओ० एकट की धारा 10 के अंतर्गत आदेश पारित किया गया।

अनवारुल हक पुत्र शिवगतुल्ला निवासी मलिक ताहिरपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ द्वारा बंधा रोड थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अवैध एक मंजिला इमारत (अनुमानित कीमत 11 लाख) को बनाया गया था, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 27.08.2020 को पारित ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध उक्त के द्वारा कलेक्टरधनियंत्रक प्रधिकारी मऊ न्यायालय में अपील की गयी थी, जिसको कलेक्टरधनियंत्रक प्रधिकारी द्वारा दिनांक 28.12.2020 को अपील निरस्त कर दिया गया तथा दिनांक 31.12.2020 को उक्त के ध्वस्तीकरण हेतु आर०बी०ओ० एकट की धारा 10 के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया।

साथ ही साथ पप्पू निवासी सारहू थाना कोतवाली द्वारा बंधा रोड पर बनाये गये अवैध टिनशेड (अनुमानित कीमत 15 हजार) तथा राजेश सिंह निवासी सारहू थाना कोतवाली द्वारा बंधा रोड पर बनाये गये एक कमरे के पक्के मकान के छज्जा (अनुमानित कीमत 14 हजार) ध्वस्त कराया गया।

02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की दो अदद मोबाईल व एक मोटर साइकिल बरामद—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री आरके सिंह के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 30-12-2020 को दो शातिर मोबाइल चोर 1— अमित यादव पुत्र बीरेंद्र यादव निवासी रेहिया अरदौना थाना हलधरपुर, मऊ 2— गोलू यादव पुत्र योगेंद्र यादव निवासी रेहिया अरदौना थाना हलधरपुर जनपद मऊ को दो चोरी की एंड्रॉइड मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि थाना क्षेत्र हलधरपुर से दिनांक 13-10-2020 को ग्राम समोगर बाजार से अखिलेश चौहान निवासी अरदौना की एंड्रॉइड मोबाइल दो व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल से चोरी किया गया था तथा दिनांक 17-10-2020 को ग्राम बीबीपुर रतनपुर के पास से शुभम सिंह निवासी सिध्वल के जेब से एक एंड्रॉयड फोन व करीब 1000 रूपया, मोटर साइकिल सवार दो व्यक्तियों द्वारा चुरा लिया गया था। सर्विलांस की मदद एवं मुखबिर की सूचना पर दिनांक 30-12-2020 को शाम करीब 16:30 बजे दोनों अपराधियों अमित यादव एवं गोलू यादव को 2 एंड्रॉइड फोन एक रियल मी सी-2 एवं दूसरा रेडमी नोट 8

प्रो के साथ मोटरसाइकिल नंबर यूपी 54 एके 0139 के साथ मोलनापुर चौराहे के निकट से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ के दौरान दोनों व्यक्तियों द्वारा दोनों मोबाइलों को दोनों घटनाओं में एक साथ चोरी किए जाने की बात स्वीकार की गई है तथा नगद को खर्च कर चुके हैं तथा इसी मोटर साइकिल का प्रयोग किया जाना बतया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर पूर्व में मु0अ0स0 416/20 धारा 379 एवं 496/20 धारा 379 आईपीसी पंजीकृत है। अभियुक्तगण द्वारा अन्य घटनाओं को किए जाने की प्रबल संभावना है। जिसके संबंध में सर्विलांस द्वारा पता किया जा रहा है। अभियुक्त गण की गिरफ्तारी एवं मोबाइल बरामदगी से क्षेत्र में काफी प्रशंसा की जा रही है तथा गिरफ्तारी व बरामद करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नगद इनाम की घोषणा की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

- 1— अमित यादव पुत्र धीरेंद्र यादव निवासी रेहिया अरदौना थाना हलधरपुर जनपद मऊ।
- 2— गोलू यादव पुत्र योगेंद्र यादव निवासी रेहिया अरदौना थाना हलधरपुर जनपद मऊ।

बरामदगी—

- 1—एक अदद एंड्राइड फोन रियल मी सी—2
- 2—एक अदद मोबाइल रेडमी नोट 8 प्रो
- 3—एक अदद मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर यूपी 54 एके 0139

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम—

प्रभारी निरीक्षक हलधरपुर श्री धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, उप निरीक्षक श्री नीरज कुमार यादव, कां0 अमित सिंह, कां0 शिव प्रकाश, कां0 सुनील कुमार, कां0 प्रवीण कुमार थाना हलधरपुर।

01 किलो नाजायज गांजा के साथ एक शातिर गिरफ्तार—

आज दिनांक 31.12.2020 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुख्यबिर की सूचना पर बनगांव मोड़ के पास से बाबी देवल उर्फ बब्बी पुत्र बंसीलाल निवासी सोमारीडीह थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से 01 किलो नाजायज गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 1041/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एकट का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

50 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद, चार व्यक्ति गिरफ्तार—

दिनांक 31.12.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना मधुबन पुलिस द्वारा सिकड़ी कोल के पास से कमलेश भारती पुत्र स्व0 दरबारी निवासी सिकड़ी कोल थाना मधुबन के कब्जे से 20 लीटर, मेहदियाकुण्ड के पास से मोतीचन्द्र पुत्र सिरपत निवासी मेहदियाकुण्ड थाना मधुबन के कब्जे से 10 लीटर तथा थाना कोपागंज पुलिस द्वारा अल्लीपुर के पास से शुख्खु राजभर पुत्र मोतीचन्द्र, औंकार राजभर पुत्र स्व0 केदार निवासीगण जयरामगढ़ थाना कोपागंज जनपद मऊ दोनों के कब्जे से 10—10 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सम्बन्धित पर धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

जुआ खेलते तीन गिरफ्तार, कब्जे से मालफड़ के 840 रुपये व 52 ताश के पत्ते बरामद—

दिनांक 30.12.2020 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान नेहरूनगर से जुआ खेलते सूरज बासफोर पुत्र प्रकाश बासफोर निवासी भूइलीपुर, सेराज पुत्र नेयाज निवासी नेहरूनगर, प्रदीप निवासी बरईपुर के कब्जे से मालफड़ के 840 रुपये व 50 ताश के पत्ते बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 847/20 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 24 व्यक्ति गिरफ्तार—

आज दिनांक 31.12.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा तेजबहादुर, फतेहबहादुर निवासी गोवरिया थाना हलधरपुर, थाना घोसी पुलिस द्वारा रामप्रवेश, अजय निवासीगण बड़गांव तड़वा, रामलखन निवासी अवरना, सुभाष निवासी पलिगढ़द्व, बेचू निवासी खत्रीपार, सुहेल, आरिफ निवासीगण जामडीह थाना घोसी, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा रामअशीष, श्रीराम, सत्यराम, धमेन्द्र निवासीगण मझौली, विपुल सिंह निवासी कोदई थाना नगरा जनपद बलिया, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा इन्द्रपाल निवासी निजामुद्दीनपुरा थाना कोतवाली, थाना मधुबन पुलिस द्वारा सम्मू चौहान, निर्मला, माधुरी निवासीगण नूरुल्लाहपुर थाना मधुबन, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा रमेश यादव, सम्मू यादव निवासीगण सोहराबपुर थाना मुहम्मदाबाद, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा राजू खरवार निवासी रघौली, ललीता देवी, सुमित्रा देवी, प्रेमचन्द्र चौहान निवासीगण सलाहाबाद थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

जनपद मऊ पुलिस लाईन सभागार मे आज दिनांक 31.12.2020 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत होने वाले पुलिस अधिकारी, कर्मचारीगणों के विदाई समारोह का आयोजन हुआ जिसमें, पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले, प्रतिसार निरीक्षक श्री विजय कुमार सिंह, प्रधान लिपिक श्री राजहंस सिंह व काफी संख्या में पुलिस कर्मचारीगण एवं निम्नलिखित समस्त सेवानिवृत अधीकारी, कर्मचारीगण व उनके परिवारजन उपस्थित रहे—

- 1 . उ0नि0ना0पु0 श्री विजय बहादुर सिंह
- 2 . उ0नि0ना0पु श्री धनन्जय सिंह
3. उ0नि0 एलआइयू श्री जनार्दन सिंह
4. मु0अ0ना0पु0 श्री राकेश चन्द्र चौबे
5. संदेश वाहक श्री अमर नाथ शर्मा

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त समस्त सेवानिवृत्त अधीकारी, कर्मचारीगणों को प्रशस्ति पत्र, श्रीमद भागवद गीता व साल देकर भावभीनी विदाई देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गयी।